

# कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

## आदेश

07 / नि. (विधि-12) - 02 / 13

चूँकि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 4012 दिनांक 21.07.2014 द्वारा परिसमापनाधीन बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना (निबंधन संख्या-03/1996) के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ श्री मनीष कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी, पटना को बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना का परिसमापक नियुक्त किया गया था। परन्तु इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए परिसमापनाधीन उक्त प्रासंगिक फेडरेशन में परिसमापक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, हुकुम सिंह मीना, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 की धारा-44(2) एवं तदनुसार बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली, 1959 के नियम-64(2) के अंतर्गत श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पटना को परिसमापनाधीन बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

ह./-

(हुकुम सिंह मीना)

निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ...../पटना, दिनांक .....  
07 / नि. (विधि-12) - 02 / 13

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ दो हार्ड कॉपी एवं एक सी.डी. (एम. एस. वर्ड में) सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त आदेश को "Regarding appointment of Liquidator in Bihar State Housing Co-operative Federation Ltd., Patna" के अंग्रेजी विषय एवं शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया जाय।

ह./-

निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ...../पटना, दिनांक .....  
07 / नि. (विधि-12) - 02 / 13

प्रतिलिपि :- 1. श्री मनीष कुमार वर्मा, भा.प्र.से., पूर्व जिला पदाधिकारी, पटना-सह-पूर्व परिसमापक, बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।  
2. श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पटना -सह-परिसमापक, बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना।  
3. श्री अनुज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना-सह-सहायक परिसमापक, बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना।  
4. श्री सत्यनारायण प्रसाद, अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, कार्यालय उप-मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, बिहार स्टेट हाउसिंग एण्ड कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना-सह-सहायक परिसमापक, बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक ..... / पटना, दिनांक .....  
07 / नि. (विधि-12) - 02 / 13

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, शीर्ष सहकारी संस्थान/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/कार्यवाह सहायक को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-  
निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5803 ..... / पटना, दिनांक 09.10.14  
07 / नि. (विधि-12) - 02 / 13

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग को इस निदेश के साथ कि इस आदेश का एम. एस. वर्ड में एक सी.डी. तैयार कर प्रेषण शाखा को उपलब्ध करावें ताकि सी.डी. अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जा सके। उन्हें यह भी निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को ई-मेल द्वारा भी संसूचित करें।

  
निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना 10/10/2014